उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3

संख्या- 04/2018/सा-3-112/दस-2018-301/2000 टी0सी0

लखनऊ: दिनाँक: 05 मार्च, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

<u>विषय:-</u> उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को दिनाँक 01-07-2017 से महँगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के अधीन नहीं हुआ है अथवा नही होना है, को दिनांक 01-07-2017 से 136 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह भी स्पष्ट किया जाना है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।

3- यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं, पर भी लागू होंगे।

4- यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नही होंगे। उनके सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

5- उपरोक्त श्रेणी के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को तद्नुसार महँगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

एम0पी0 अग्रवाल

सचिव, वित्त।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2018/सा-3-112(1)/दस-2017, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्निलखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 व 2 एवं आडिट-1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

8- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।

9- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

10- महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।